न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–66/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00048)

1. अनोपचन्द पुत्र रतिराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. झीमादेवी पत्नी रतिराम, जाति जाट निवासी ग्राम बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. खेमचन्द पुत्र डूँगाराम जाति जाट, निवासी बीबासर, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

3. अशोक कुमार पुत्र रतिराम जाट, निवासी ग्राम बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।

––तरतीबी पक्षकार

उपस्थितिः–

1. **श्री हेमन्द दीक्षित, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री रामचन्द्र देगड़ा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 17.08.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण में इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कतई ध्यान नही दिया कि तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने जवाब दिनांक 17.09.2018 में वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 119/2 जिसके वर्तमान नम्बर 203/889, 1042/203 कलु किता 2 कुल रकबा 1.09 हैक्टयर खेमचन्द एवं खसरा नम्बर 1043/203 रकबा 0.91 हैक्टयर तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अशोक कुमार एवं अपीलान्ट्स के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में माना है तथा जवाब के पैरा संख्या 4 में तहसीलदार ने स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 203/889 के उत्तरी हिस्से में खसरा नम्बर 1042/203 रकबा 0.02 बंटवारे के समय नक्शे में रास्ता दर्ज माना है तो पुनः रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में महज उन्हे अनुचित लाभ पहुँचाने की दृष्टि से धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 203/899 में नक्शा ट्रेस व रिकार्ड को पुनः नये सिरे से दुरूस्त कर रास्ता निशान दर्ज करने के आदेश पारित करने में उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू ने गंभीर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खेमचन्द ने दिनांक 28.9.2016 को शपथ पत्र प्रस्तुत करके उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के यहॉ स्वीकार किया था कि ग्राम बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनू में भूमि खसरा नम्बर 203/889 रकबा 1.07 हैक्टयर में कभी भी कोई रास्ता नही

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रहा एवं ना ही इसके आगे व पीछे कोई रास्ता कटान है एवं इसके बावजूद तहसीलदार व हल्का पटवारी ने अपने नक्शे में डोटेड लाईन से रास्ता दिखा दिया जो पूर्णतया गलत है तथा उसे दुरूस्त करने हेतु धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में प्रार्थी खेमचन्द ने आवेदन पेश किया है तथा उसके पश्चात् प्रकरण संख्या 99/2018 सरकार जरिये भू अभिलेख तहसीलदार झुन्झुनू बाबत रास्ते सम्बन्धी अभियान 2018 मे स्वयं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 30.08.2018 के द्वारा पटवारी मण्डल बीबासर के राजस्व ग्राम बीबासर से जैजसर सड़क से डाबडी सीमा की ओर रास्ता जो खसरा नम्बर 492, 215, 507, 508, 514, 514/896 एवं खसरा नम्बर 1042/203 खसरा नम्बर 203/88 में स्थित है की सर्वे रिपोर्ट नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी संलग्न करके रास्ते हेतु उपयोग में आ रही भूमि को गैर मु.रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा की जा चुकी है तथा मौके पर रास्ता भी चालू है तथा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू ने उक्त पत्रावली संख्या 99/2018 में दिनांक 30.08.2018 को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश भी बाबत खसरा नम्बर 1042/203 हेतु पारित कर दिया था तो पुनः दिनांक 15.02.2019 की आज्ञा जैर अपील द्वारा किस आधार पर खसरा नम्बर 203/889 में रास्ता निशान कर दिया यह कानूनी बिन्दु तय किये बिना ही पारित आज्ञा जैर अपील निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 प्रकरण संख्या 99/18 की पालना में राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 1042/203 में से डोटेड लाईन द्वारा नक्शे में रास्ता दिखा दिया गया था तो फिर किस आधार पर उपखण्ड अधिकारी ने आज्ञा जैर अपील दिनांक 15.02.2019 के द्वारा स्वयं के पूर्व निर्णय बदलते हुये खसरा नम्बर 889 में से गैर मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया इस कारण भी आज्ञा जैर अपील पूर्णतयः निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रकरण की आर्डरशीट से भी स्पष्ट होता है कि प्रकरण एकपक्षीय रूप से ही बिना अपीलान्ट्स को सुने ही निर्णित किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2019 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण दोनों पक्षों को सुनवाई का, शहादत, सबूत, मौखिक व दस्तावेजी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार निर्णित किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू को रिमाण्ड फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि ग्राम बीबासर की सरहद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से भूमि खसरा नम्बर 203/889 रकबा 1.07 हैक्टयर खसरा नम्बर 514/596 513/895, 545, 546, 677, 1042/203 कुल किता 7 कुल रकबा 5.4 हैक्टयर का खातेदार, काश्तकार है तथा भूमि खसरा नम्बर 119/2 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा पहले चन्दा देवी के नाम से थी तथा चन्दादेवी से खेत का पश्चिमी हिस्सा की भूमि 4 बीघा 6 बिस्वा खेमचन्द रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 13.12.1995 को खरीदी थी शेष भूमि चन्दादेवी ने जरिये दानपत्र कमला पत्नी विजयसिंह को दे दी थी इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व कमला देवी वादग्रस्त भूमि के खातेदार हुए तथा कमला व खेमचन्द ने दिनांक 15.11.2010 को तहसीलदार के यहाँ

P.T.O.

अपने–अपने हिस्से के अनुसार सहमति से विभाजन कर लिया जबकि रेस्पोडेन्ट के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 203/889 के उत्तरी हिस्से में सीमा के पास पगडण्डी (रास्ता) दर्शा दिया जबकि रास्ते के सम्बन्ध में कोई लिखावट नही है ना ही कोई आदेश था, ना ही उक्त रास्ते के आगे पहले कोई रास्ता है। इस प्रकार तहसीलदार या पटवारी हल्का ने गलत रूप से बिना किसी आधार के रास्ता दर्शा दिया था जो कि एक आधार के रास्ता दर्शा दिया जो कि एक क्लेरिकल मिस्टेक है जो धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दुरूस्त किया जाना आवश्यक होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई कर एवं तहसीलदर से रिपोर्ट लेकर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि तहसीलदार झुन्झुनू की रिपोर्ट दिनांक 17.09.2018 के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खेमचन्द के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 203/889 के उत्तरी हिस्से में खसरा नम्बर 1042/203 रकबा 0.02 हैक्टयर जो बंटवारे के समय नक्शे में रास्ता दर्ज किया हुआ है तथा वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 119/2 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 203/889, खसरा नम्बर 1042/203 कुल किता 2 कुल रकबा 1.09 हैक्टयर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खेमचन्द एवं खसरा नम्बर 1043/203 रकबा 0.91 हैक्टयर अपीलार्थीगण एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार की रिपोर्ट आ चुका था उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को पक्षकार संयोजित नही किया गया है जिससे अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर